

भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द औचित्यहीन

□ प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी

भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक देश रहा है। प्राचीनकाल से ही यहाँ की धरा पर रहने वाले लोग ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि हमारा राष्ट्र कीर्तिवान और समृद्धशाली हो।¹ यहाँ जीवन की शान्ति और समृद्धि ने विदेशी लोगों को सदैव ही आकर्षित किया। 321 ई0पू0 के आस-पास यूनान के सिकन्दर आक्रमण किया था। उसके बाद तो शक, यवन, हूण, कुषाण आदि न जाने कितने विदेशियों ने इस देश को कुचलना चाहा लेकिन यहाँ की राष्ट्रीयता में समाहित हो गये। इसके पूर्व में भी अगर हम देखे तो रामायण काल और महाभारत में भी धर्म एवं संस्कृति की ही स्थापना के लिए ही अनेक युद्ध लड़े गये। भारत में राज्य नामक संस्था की स्थापना ही मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए की गई थी। क्योंकि जब राज्य नहीं था, राजा नहीं थे, सम्पूर्ण जन परस्पर धर्म की रक्षा करते थे।² किन्तु जब धर्म की ग्लानि प्रारम्भ हुई और शक्तिशाली ही जीवित रहने के अधिकारी थे ऐसे में परमपिता ब्रह्माजी द्वारा रचित राजशास्त्र की सहायता से राज्य नामक संस्था बनाई गई और मनु को राजा।³ अर्थात् भारत में राज्य नामक संस्था की स्थापना का मूल उद्देश्य ही धर्म की रक्षा करना रहा है। ऐसा ही उद्घोष गीता में श्रीकृष्ण जी ने किया है।

समय-समय पर विदेशी आक्रान्ताओं ने

भारत को पद-दलित करने का भरपूर प्रयास किया लेकिन हमने अपने धर्म और संस्कृति को बचाये रखा। सिर्फ बचाये ही नहीं रखा अपितु गंगा की पवित्र और सागर की भाँति सबको समाहित कर साथ में एकाकार करने प्रतिबद्धता भी दिखाई। समय-समय आवश्यकतानुसार सामाजिक परिष्कार भी होते रहे। लगभग सातवीं शताब्दी में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया और इस्लाम का प्रवेश भारत में हुआ। भारत में उनके द्वारा इस्लाम के प्रचार-प्रसार हेतु सनातन धर्म, परम्पराओं और धार्मिक स्थलों को क्षति पहुँचाया गया। धर्म का आस्था स्थल मन्दिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, जबरन इस्लाम स्वीकार कराया, लेकिन हम भ्रातृत्व, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। 16वीं शताब्दी में व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर आये ब्रिटिश अंग्रेज सत्ता लोलुप हो गये। हमने उनसे भी संघर्ष किया। इस प्रकार हमारे दमन का चक्र चलता रहा। धैर्यपूर्वक हमने सामना किया। उसके मूल में हमारा धर्म, सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना ही है कि हम वटवृक्ष की भाँति अटल खड़े रहे और सभी प्रकार के आतपों का सामना करके भी हम अपने को संवर्धित करते रहे। उस प्राचीन भारतीय संस्कृति के साथ उद्भूत हुई। मिस्र, यूनान आदि संस्कृतियाँ नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी वर्तमान है। इसके मूल में धर्म ही

है, जो सम्पूर्ण मानव जीवन के अन्तिम लक्ष्य को पूरा करने के लिए सर्वत्र व्याप्त है। इस रूप में धर्म व्यापक रूप से भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। इसी कारण आज तक हमारा अस्तित्व भी बना हुआ है। भारतीय संस्कृति के सन्दर्भ में इकबाल साहब ने कहा—

“कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मान दौरे जहाँ हमारा।।”

वर्तमान भारत में विविधताओं के मध्य यही सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है, जो हमारी विरासत है। भारत में इस्लाम, ईसाई, पारसी, सिख आदि अनेकानेक समुदायों का स्वतंत्र एवं सम्मिलित रूप में स्वागत हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और दासता में भी हमने सौहार्द्र और बन्धुता बनाये रखा। किसी भी समुदाय की धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक स्थलों या उपासना पद्धति को आघात नहीं पहुँचाया। 15 अगस्त 1947 ई० को आक्रान्त भारत दासता की बेड़ियों से मुक्त हुआ और लोक कल्याणी संविधान 26 नवम्बर 1949 ई० को संविधान को संविधान सभा द्वारा भारत को एक प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होकर एतद्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया।⁴

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाला राष्ट्र

भारत है जिसके मूल में धर्म जैसा विशालकाय हृदय प्रतिष्ठित है। जिसके द्वारा सम्पूर्ण भारत राष्ट्र संरक्षित रहा है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के परम्परागत इतिहास में एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। श्री अटल बिहारी वाजपेई जी भारत के तत्स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा। भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक एकता की अनुभूति ही राजनीतिक एकता की प्रेरक शक्ति रही है। राजनीतिक एकता के अभाव में देश की सांस्कृतिक धारा को कभी खण्डित नहीं होने दिया।
..... विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। हमने एकरूपता की नहीं अपितु एकता की कामना की है। भारतीय संस्कृति कभी भी किसी एक उपासना पद्धति से बँधी नहीं रही और न उसका आधार प्रादेशिक ही रहा है। मजहब, क्षेत्र के आधार पर पृथक संस्कृति की चर्चा तर्क विरुद्ध ही नहीं भयावह भी है। क्योंकि वह राष्ट्रीयता एकता की जड़ पर कुठाराघात करती है।⁵

स्वतंत्रता के पश्चात् गठित संविधान सभा में लम्बे समय तक विचार—विमर्श भारत के स्वरूप पर किया गया और नये भारत के निर्माण की भूमिका में एक नये व्यवस्थित समाज की कल्पना की गयी।⁶ डॉ० सुभाष कश्यप के अनुसार “प्रसन्नता में निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं और जहाँ वे एक ओर हमें अपने गौरवमयी अतीत से जोड़ते हैं, वहाँ उस भविष्य की आशंका को भी संजोते हैं.....”⁷।” भूतपूर्व न्यायमूर्ति हितायतुल्ला के शब्दों में— “भारतीय संविधान की प्रस्तावना समूचे संविधान की आत्मा है, शास्वत और अपरिवर्तनीय प्रस्तावना में संवैधानिक जीवन के 20

वैविध्य का भी उल्लेख मिलता है और भविष्य दर्शन भी।⁸

42वें संविधान के संशोधन के पूर्व संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार रही है—

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत् 2006 विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।⁹

उच्चतम न्यायालय में अनेक निर्णयों में उद्देशिका के महत्व को बताते हुए इसे अपरिवर्तनीय करार दिया।¹⁰ विभिन्न विचारकों ने संविधान की इस प्रस्तावना को संविधान की कुंजी जैसे उपमानों से सुसज्जित किया।¹¹ डॉ० लक्ष्मीमल सिंहवी के शब्दों में “हमारे संविधान की आत्मा (प्रस्तावना) में मनुष्य की सभ्यता को आधुनिक विचार क्रम को हृदय स्पन्दन है। उसकी अन्तरात्मा, न्याय, समता एवं अधिकार और बन्धुत्व के आशय से अभिसंचित है।”¹²

संविधान सभा ने कुल 8 दिनों तक उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार किया। अधिकांश सदस्यों ने उत्साहपूर्वक समर्थन भी किया किन्तु कुंजरू, जयकर, डॉ० अम्बेडकर चाहते थे कि प्रस्ताव पर विचार

स्थगित कर दिया जाय। 22 जनवरी 1946 को पं० जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव से सम्बन्धित वाद—विवाद का उत्तर दिया और संविधान सभा ने उसे स्वीकार कर लिया।¹³ यहाँ दृष्टव्य है कि जिस प्रस्तावना को इतने लम्बे विचार—विमर्श के उपरान्त संविधान सभा ने स्वीकार किया और विद्वानों द्वारा संविधान का दर्शन, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा जैसे शब्दों से अभिहित भी किया गया और उसे अपरिवर्तनीय भी बताया गया। ऐसे में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना को परिवर्तित कर सेक्युलर और समाजवादी जैसे शब्दों को समाहित किया गया। जबकि इन विषयों पर पर्याप्त चर्चा संविधान सभा में हो चुकी थी। 15 नवम्बर 1948 को प्रो० के०टी० शाह ने अनुच्छेद 1 की धारा 1 में सेक्युलर फेडरल और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने का संशोधन प्रस्ताव रखा था। परन्तु डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने मनसौदा समिति ने यह कह कर रद्द कर दिया था कि संविधान को उस सामाजिक और आर्थिक ढाँचे को सुनिश्चित नहीं करना चाहिये। जो विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।¹⁴

इससे यह सुनिश्चित होता है कि सेक्युलर शब्द पर पर्याप्त विचार—विमर्श के उपरान्त भारतीय संविधान के उपयुक्त नहीं पाया गया। यद्यपि इसकी अवधारणा को मूल अधिकारों में संविधान सभा ने समाहित कर दिया था। प्रश्न है कि आखिरकार क्या आवश्यकता पड़ी कि सेक्युलर शब्द को 1976 ई० को संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द हिन्दी अनुवाद धर्मनिरपेक्ष (पंथनिरपेक्ष) शब्द को समाहित किया गया।¹⁵ जिस समय यह संशोधन

लाया गया उस समय भारत में आपातकाल लागू था। सरकार का कार्यकाल समाप्त हो चुका था परन्तु विशेष संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। संसद में बैठने वाले जनप्रतिनिधि विपक्ष और सरकार पक्ष के अधिकांश लोग बन्दीग्रह में थे। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश था। प्रेसों पर सेंसरशिप लागू था।¹⁶ ऐसी परिस्थिति में किया गया यह 42वां संशोधन विवाद का विषय आज भी बना हुआ है। क्योंकि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया उस काल में अनुकूल नहीं थी, चर्चा के लिए न तो विपक्ष और न ही सरकार पक्ष के सांसद पूरी संख्या में सदन में उपस्थित थे। ऐसे में लोकतांत्रिक गणराज्य भारत में जिसमें संशोधन के संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखकर यह 42वां संशोधन किया गया। इस विषय पर न तो पर्याप्त चर्चा हो पाई और न ही इसे समुचित पारिभाषित स्वरूप प्राप्त हो पाया।

इतना ही नहीं इस संविधान संशोधन का उद्देश्य सिर्फ प्रस्तावना में नये शब्दों को जोड़ना ही नहीं था अपितु विधेयक के साथ-साथ उद्देश्य और कारणों का जो कथन संलग्न था उसके अनुसार शासन का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति लाना रहा किन्तु क्रान्ति के मार्ग में जो बाधाएँ हैं उनको दूर करने के लिए संविधान में संशोधन को आवश्यक बताया गया। तत्कालीन विधि मंत्री श्री गोखले की वक्तव्य के अनुसार सरकार के लिए कुछ बातें आवश्यक हो गयी हैं इस लिए संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखण्डता के उच्च आदर्श, अभिव्यक्ति रूप में रखे जा रहे हैं।¹⁷ लेकिन इन उच्चादर्शों

समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को एक निश्चित स्वरूप देकर परिभाषित नहीं किया गया। यही विवाद का कारण आज भी बना हुआ है।

धर्मनिरपेक्षता शब्द सेक्युलर का हिन्दी अनुवाद है। संविधान में इसी समानान्तर शब्द पंथनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रस्तावना में प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न यहाँ भी उठता है कि सदा से ही **'सर्वधर्म समभाव'** और **'वसुधैव कुटुम्बकम्'** की भावना से अनुप्राणित रहने वाले भारत राष्ट्र में सेक्युलेरिज्म (धर्मनिरपेक्षता) क्यों आवश्यक है? इसकी हमें जरूरत 25 वर्षों बाद क्यों पड़ी? क्या सेक्युलेरिज्म का सही अर्थ धर्म निरपेक्ष है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। मेरे विचार से यह सही अर्थ नहीं हो सकता और न ही भारत राष्ट्र के लिए इसकी उपयोगिता है, क्योंकि विश्व के सर्वाधिक प्राचीन सांस्कृतिक भारत देश में सदैव से ही सहिष्णुता और बन्धुता की भावना विद्यमान रही है। भारत राष्ट्र की पवित्र धरा पर चाहे कोई हुआ हो भारत ने सभी का हर रूप में स्वागत कर उसे समुचित स्थान प्रदान किया है। ऐसे भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द की उपयोगिता समझ में नहीं आती है जिसका धर्म ही प्राण है।

42वें संविधान संशोधन के पश्चात् सरकार ने जिस उद्देश्य से प्रस्तावना का हृदय परिवर्तन किया था उससे देश में विखण्डन की स्थिति पैदा हुई। आज राजनीतिक दलों के लिए यह शब्द सत्ता हथियाने का हथियार बन गया है। जब धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग संविधान में प्रभावी किया गया देश में अराजकता, साम्प्रदायिकता तथा आपसी वैमनस्य का माहौल तेजी से बढ़ा। समाज और राजनीति दोनों नैतिकता के मार्ग से

विरत हो रहे अलगाववादी शक्तियां सिर उठाये खड़ी हैं। सरकार मूर्तिवत है।

मेरे विचार सेक्यूलर की विचारधारा पश्चिमी देशों के लिए उपयुक्त हो सकती है परन्तु भारत के लिए सर्वथा अनुपयोगी एवं अनुपयुक्त है। जब हम इसे एक सैद्धान्तिक रूप में इसको यथारूप प्रदान करते हैं। तो भारत में धर्म को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये। जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय जैसी धारणा से आप्लावित है। ऐसे ही धर्म की रक्षा के लिए प्राचीन काल में प्राद्भूत राज्य नामक संस्था को अगर धर्म से तदस्थ कर दिया जायेगा तो राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। क्योंकि धर्म को उपासना पद्धतियों, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता बल्कि धर्म वह है जो धारण करने योग्य हो। इस रूप में जब हम धर्म को देखते हैं तो धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग करके हम धर्म को ही न्यून बना देते हैं। अतः भारत में धर्म को राज्य से अलग करना भारतीय संस्कृति की प्रधान विशेषता, अनेकता में एकता को खण्डित करना है। गाँधी जी राजनीति में धर्म का समावेश करके राजनीतिक आध्यामीयकरण करना चाहते थे उनके अनुसार धर्म से शून्य राजनीति मृत्यु का एक जाल है।¹⁸

भारत में धर्म व्यक्तिनिष्ठ भी है और राष्ट्रनिष्ठ भी। संविधान के सन्दर्भ में हमें धर्म के व्यापक स्वरूप को ग्रहण करना पड़ेगा और राज्य को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि निरपेक्ष शब्द ही एक विवादित शब्द है। निरपेक्ष शब्द से तात्पर्य तटस्थता से है और धर्मनिष्ठ भारत में राज्य धर्म से कैसे तटस्थ रह सकता है। आज देश के लिए साम्प्रदायिकता, अल्पसंख्यकवाद,

आतंकवाद जैसे शब्द चुनौती बने हुए हैं क्योंकि हम कर्तव्य पथ से च्युत हो चुके हैं अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

भारतीय परिवेश और पाश्चात्य परिवेश में भारी अन्तर है। भारत में धर्म और राज्य का कभी विवाद नहीं रहा है। हमने कठिन परिस्थिति में सामंजस्य बैठाया है। विभिन्न जाति सम्प्रदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं और समरस होकर भारत के सांस्कृतिक रक्षण और उत्थान में लगे हैं। अतः भारत के लिए सेक्यूलर (धर्मनिरपेक्ष) जैसे शब्द हमारे विचार से अनुपयुक्त हैं। अगर आवश्यकता महसूस की जाय तो इस पर गहन विचार विमर्श की महती आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ—

1. ऋग्वेदोक्त श्रीसूक्त/नित्यकर्म पूजाप्रकाश, लेखक परमाचार्य श्री रामभवन जी मिश्र, श्री लाल बिहारी जी मिश्र, 41वां पुनमुद्रण, गीताप्रेस गोरखपुर, पृ0सं0—306
2. एकात्म मानववाद, लेखक दीनदयाल उपाध्याय/जागृति प्रकाशन नोएडा, पृ0सं0—47
3. एकात्म मानववाद, लेखक दीनदयाल उपाध्याय/जागृति प्रकाशन नोएडा, पृ0सं0—47
4. भारतीय शासन एवं राजनीति लेखक डॉ0 पुखराज जैन एवं बी0एल0 फाड़िया, प्रकाशक—साहित्य भवन आगरा, पृ0सं0—45।
5. कुछ लेख कुछ भाषण— लेखक अटल बिहारी पाजपेई, सम्पादक डॉ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा 13वां संस्करण, पृ0सं0 15—16।
6. भारतीय शासन एवं राजनीति लेखक डॉ0 पुखराज जैन एवं बी0एल0 फाड़िया, प्रकाशक—साहित्य भवन आगरा, पृ0सं0—49।

7. संविधान की आत्मा— लोकतंत्र० समीक्षा, पृ०सं०—125।
8. भारतीय शासन एवं राजनीति लेखक डॉ० पुखराज जैन एवं बी०एल० फाड़िया, प्रकाशक—साहित्य भवन आगरा, पृ०सं०—43।
9. भारतीय शासन एवं राजनीति लेखक डॉ० पुखराज जैन एवं बी०एल० फाड़िया, प्रकाशक—साहित्य भवन आगरा, पृ०सं० 44—45।
10. भारत का संविधान एक परिचय, लेखक डॉ० डी०डी० बसु, प्रकाशक— बाधवा एण्ड कम्पनी नई दिल्ली 8वां संस्करण, पृ०सं० 21।
11. भारतीय शासन एवं राजनीति लेखक डॉ० पुखराज जैन एवं बी०एल० फाड़िया, प्रकाशक—साहित्य भवन आगरा, पृ०सं०—41।
12. भारतीय शासन एवं राजनीति लेखक डॉ० पुखराज जैन एवं बी०एल० फाड़िया, प्रकाशक—साहित्य भवन आगरा, पृ०सं०—45।
13. भारतीय शासन एवं राजनीति लेखक डॉ० पुखराज जैन एवं बी०एल० फाड़िया, प्रकाशक—साहित्य भवन आगरा, पृ०सं०—44।
14. शक्ति से शान्ति, अटल बिहारी वाजपेई सम्पादक डॉ० चन्द्रिका प्रसाद शर्मा किताबघर प्रकाश नई दिल्ली, पृ०सं०—232।
15. भारतीय शासन एवं राजनीति लेखक डॉ० पुखराज जैन एवं बी०एल० फाड़िया, प्रकाशक—साहित्य भवन आगरा, पृ०सं०—195।
16. शक्ति से शान्ति, अटल बिहारी वाजपेई सम्पादक डॉ० चन्द्रिका प्रसाद शर्मा किताबघर प्रकाश नई दिल्ली, पृ०सं०—248।
17. शक्ति से शान्ति, अटल बिहारी वाजपेई सम्पादक डॉ० चन्द्रिका प्रसाद शर्मा किताबघर प्रकाश नई दिल्ली, पृ०सं०—249।
- भारतीय शासन एवं राजनीति लेखक डॉ० पुखराज जैन एवं बी०एल० फाड़िया, प्रकाशक—साहित्य भवन आगरा, पृ०सं०—196।